पेसा

सन्दर्भ

गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में एक राजनीतिक दल ने चुनावी वादा किया है.

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

• 1996 में अधिनियमित, यह आदिवासी समुदायों के ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है।
• पंचायत से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रावधान करना।
• अधिनियम के तहत, अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है।
• अनुच्छेद 244(1) के तहत, पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों पर लागू होते हैं।
• अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं के अनुमोदन और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है।
• 10 राज्यों ने पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है –
आंध्र प्रदेश
छत्तीसगढ़
गुजरात
हिमाचल प्रदेश
झारखंड
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
उड़ीसा
राजस्थान और तेलंगाना
• पेसा अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने मॉडल पेसा नियमों को परिचालित किया, अब तक 6 राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित किया है।

स्टार्ट

सन्दर्भ

रूस ने अमेरिका से कहा कि वह स्टार्ट संधि के तहत साइट पर निरीक्षण की अनुमति नहीं देगा क्योंकि वाशिंगटन और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध रूस को अमेरिकी क्षेत्र में निरीक्षण करने के अधिकार से वंचित करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

• नई START संधि ने मास्को की संधि (SORT) का स्थान ले लिया, जो दिसंबर 2012 में समाप्त हो गई।
• यह START संधि का पालन करता है जो दिसंबर 2009 में समाप्त हो गई थी।
• यह प्राग में अप्रैल 2010 में हस्ताक्षरित किया गया था और फरवरी 2011 में लागू हुआ। इसके फरवरी 2026 तक चलने की उम्मीद है, जिसे 2021 में बढ़ा दिया गया है।
• संधि प्रत्येक पक्ष को 800 सामरिक परमाणु वितरण वाहनों (तैनात और गैर-तैनात) पर तैनात रणनीतिक वारहेड्स तक सीमित करती है।

स्टार्ट

• सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (START) संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक आक्रामक हथियारों की कमी और सीमा पर एक द्विपक्षीय संधि थी।
• संधि पर 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षर किए गए और 5 दिसंबर 1994 को लागू हुई।
• इसका उद्देश्य उन दो देशों के परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को पहुंचाने में सक्षम मिसाइलों और बमवर्षकों के शस्त्रागार को कम करना है।
• सत्यापन उपायों में साइट पर निरीक्षण और मिसाइल टेलीमेट्री तक पहुंच शामिल है, जो परीक्षण की जा रही मिसाइलों की विशेषताओं का विवरण प्रदान करता है।

सॉर्ट

• सामरिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि (SORT), जिसे मास्को की संधि के रूप में भी जाना जाता है, दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक हथियार कमी संधि भी थी। यह संधि 2003 से 2011 तक लागू थी।
• यह स्टार्ट से दो प्रकार से भिन्न है :
इसे वितरण प्रणाली के उन्मूलन की आवश्यकता नहीं थी;
इसने गैर-तैनात आयुधों को नष्ट करने के बजाय संग्रहीत करने की अनुमति दी।

यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022

संदर्भ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु

• प्रत्येक एयरलाइन को भारत से प्रस्थान करने वाली या देश में आने वाली प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर) जानकारी को सीमा शुल्क विभाग को स्थानांतरित करना होगा।
• यात्रियों के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र या सीबीआईसी द्वारा स्थापित डेटाबेस सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के उद्देश्य से "यात्रियों के जोखिम विश्लेषण" के लिए जानकारी एकत्र करेगा।
• इस तरह के डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या भारत के सरकारी विभागों या किसी अन्य देश के साथ भी साझा किया जा सकता है।
• इस तरह के डेटा को अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए रखा जाएगा जिसके बाद इसे प्रतिरूपण द्वारा निपटाया जाएगा।
• हालांकि, इसे फिर से वैयक्तिकृत किया जा सकता है और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी पहचाने जाने योग्य मामले, खतरे या जोखिम के संबंध में उपयोग किए जाने पर इसे बेनकाब किया जा सकता है।

कार्यपालिका की अध्यादेश बनाने की शक्तियाँ

संदर्भ

केरल के राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा कार्यकारी आदेशों की पुष्टि करने के बजाय 11 अध्यादेशों को फिर से जारी करने के राज्य सरकार के कदम पर आपत्ति जताई।

संवैधानिक प्रावधान

• संविधान का अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को, कुछ कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है, जब कानून बनाना संभव नहीं होता है:
संघ के मामले में: संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में नहीं है।
एक सदनीय विधायिका वाले राज्य के मामले में: विधान सभा सत्र में नहीं है।
द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य के मामले में: विधान सभा और परिषद दोनों सत्र में नहीं हैं।
• कार्यपालिका की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित सीमाएँ मौजूद हैं:

- तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- अध्यादेशों को फिर से जोड़ने के छह सप्ताह के भीतर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए या वे काम करना बंद कर देंगे। यदि दोनों सदनों द्वारा अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है तो वे भी काम करना बंद कर देंगे।
- एक अध्यादेश किसी भी विषय से संबंधित होगा जिस पर संसद/राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।

अध्यादेश बनाने की शक्तियों पर प्रमुख बहस-

वर्ष	विधायी विकास	प्रमुख तर्क
1970	आरसी कूपर बनाम भारत संघ	सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1969 की संवैधानिकता की जांच करते हुए, जिसमें भारत के 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई थी, ने माना कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता नहीं थी। ; और अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए पारित किया गया था।
1975	38वां संविधान संशोधन अधिनियम	अनुच्छेद 123 में यह कहते हुए एक नया खंड (4) डाला गया कि अध्यादेश जारी करते समय राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम थी और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था।
1978	44वां संविधान संशोधन अधिनियम	38वें सीएए द्वारा जोड़ा गया खंड (4) हटा दिया गया और इसलिए एक अध्यादेश को लागू करने के राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की संभावना को फिर से खोल दिया।
1980	एके रॉय बनाम भारत संघ	एके रॉय बनाम भारत संघ (1982) में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 की संवैधानिकता की जांच करते हुए, न्यायालय ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
1987	डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य	अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है, न कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में।
2017	कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य	सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसका उल्लंघन है.

पानीपत में 2जी इथेनॉल प्लांट

सन्दर्भ

विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2022 के अवसर पर, प्रधान मंत्री ने हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी में नव विकसित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- 2जी एथेनॉल संयंत्र का उपयोग 2 लाख टन चावल के भूसे (पराली) को सालाना 3 करोड़ लीटर इथेनॉल में बदलने के लिए किया जाएगा।
- संयंत्र 35 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है और 750 टन धान के भूसे को संसाधित करके प्रति दिन 100 किलोलीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है।
- 2जी एथेनॉल प्लांट स्थापित करके, रिफाइनरी अब किसानों से चावल के भूसे के कचरे को खरीदेगी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसे इथेनॉल में बदल देगी, जो एक जैव ईंधन है।
- किसानों से चावल की भूसी प्राप्त करने में मदद के लिए पानीपत और करनाल में कुल 12 संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं।

महत्व

- कृषि अवशेषों से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन।
- किसानों की आय में वृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ 1 लाख किसानों को।
- फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना।
- सालाना लगभग 3 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन में कमी।
- इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

खय्याम

सन्दर्भ

खय्याम नामक ईरानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से एक रूसी सोयुज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था।

मुख्य बिंदु

- इसका नाम फारसी वैज्ञानिक उमर खय्याम के नाम पर रखा गया है।
- ईरान का कहना है कि उपग्रह को नागरिक उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है यानी कृषि उद्देश्यों के लिए विकिरण और पर्यावरण निगरानी सहित वैज्ञानिक अनुसंधान।
- यह आरोप लगाया जाता है कि उपग्रह ईरान को मध्य पूर्व में इज़राइल और अन्य देशों की निगरानी करने की क्षमता देगा और रूस यूक्रेन की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है।

लंग्या वायरस

सन्दर्भ

हाल ही में चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में कई लोग लैंग्या वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

मुख्य बिंदु

- नया वायरस एक जानवर से इंसानों में पहुंच गया है।
- LayV वायरस RNA मुख्य रूप से धूर्तों में पाया गया है, जो इसके प्राकृतिक मेजबान हो सकते हैं।
- घरेलू और जंगली जानवरों का सीरोसर्वे करने के बाद इस अध्ययन में खामियों का पता चला।
- घरेलू पशुओं में, बकरियों और कुत्तों में सेरोपोसिटिविटी पाई गई।

चीन में डायनासोर के पैरों के निशान

सन्दर्भ

वैज्ञानिकों ने उत्तरी चीन के झांगजियाकौ के हेबेई प्रांत में 4,300 से अधिक डायनासोर के पैरों के निशान खोजे हैं।

मुख्य बिंदु
• यह देश में एक स्थान पर पाए जाने वाले पदचिह्न जीवाश्मों की सबसे बड़ी संख्या है।
• पैरों के निशान लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक और क्रेटेशियस युग के बीच बने थे।
• पैरों के निशान चार अलग-अलग डायनासोर प्रजातियों को दिखाते हैं, जिनमें से एक की खोज नहीं की जा सकती है।
• पैरों के निशान शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर के हैं; जबकि पूर्व लगभग 15 मीटर की लंबाई तक पहुंच सकता था, बाद वाला 4 से 5 मीटर था।
• वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पानी और पेड़ों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र ने डायनासोर को आकर्षित किया होगा।
• भारत में, 2014 में, राजस्थान के जैसलमेर में 200 मिलियन वर्ष पुराने पैरों के निशान पाए गए थे।

सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र

सन्दर्भ
हाल ही में कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु
• केंद्र के लिए प्रौद्योगिकी भारत-इजरायल कार्य योजना (आईआईएपी) के तहत इजरायल के विशेषज्ञों द्वारा (उद्यान के एकीकृत विकास के लिए मिशन) एमआईडीएच से प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन के साथ प्रदान की जाती है।
• ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
• इस केंद्र की स्थापना चंदौली जिले के साथ-साथ पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
• यहां उन्नत सब्जियों के बीज और पौधे उगाकर किसानों को वितरित किए जाएंगे।
• किसान अपने लिए पौधों के विकास को भी प्रायोजित कर सकते हैं।
• खेती के नवीनतम तरीकों का उपयोग करने से किसान बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे और सब्जियों का निर्यात भी कर सकेंगे।
• विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस उत्कृष्टता केंद्र में सब्जियों सहित अन्य कृषि उत्पादों की नर्सरी तैयार की जाएगी।
• चंदौली जिले की जलवायु, जो यूपी के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त है।

भारत के नए मुख्य न्यायाधीश

सन्दर्भ
हाल ही में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।

मुख्य बिंदु
• न्यायमूर्ति ललित दूसरे प्रधान न्यायाधीश होंगे जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत की पीठ में पदोन्नत किया गया था।
• जस्टिस एस एम सीकरी, जो जनवरी 1971 में 13वें CJI बने, मार्च 1964 में सीधे शीर्ष अदालत की बेंच में पदोन्नत होने वाले पहले वकील थे।

CJI की नियुक्ति:
• जैसा कि प्रोटोकॉल है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया गया है।
• प्रथा के अनुसार, पदस्थ सीजेआई से पदासीन मुख्य न्यायाधीश की औपचारिक सिफारिश मांगी जाती है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से लगभग एक महीने पहले होती है।
• सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश को आधिकारिक तौर पर मौजूदा सीजेआई द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय को सूचित किया जाता है, जो तब मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार प्रधान मंत्री को संचार रिले करता है।
• प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश पर सलाह देते हैं और कार्यकारी प्रमुख बाद में भारत के शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए अनुच्छेद 124(2) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत नियुक्ति करता है।

चिप और विज्ञान अधिनियम

सन्दर्भ
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेमीकंडक्टर उत्पादन और अनुसंधान के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु
• कानून का उद्देश्य चिप्स की लगातार कमी को दूर करना है जिसने कारों, हथियारों, वाशिंग मशीन और वीडियो गेम से सब कुछ प्रभावित किया है।
• चीन के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कानून 10 वर्षों में $200 बिलियन को अधिकृत करता है।

एजीएम-88 हार्म

सन्दर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पुष्टि की है कि उसने यूक्रेन को कुछ "विकिरण रोधी मिसाइलों" की आपूर्ति की है, जिन्हें यूक्रेन की वायु सेना के कुछ विमानों से दागा जा सकता है।

AGM-88 HARM मिसाइल क्या है?

• AGM-88 HARM हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल में 'HARM' का संक्षिप्त नाम हाई-स्पीड एंटी-रेडिएशन मिसाइल है।
• यह लड़ाकू विमानों से दागा गया एक सामरिक हथियार है, और इसमें सतह से हवा में पता लगाने की क्षमता वाले शत्रु राडार स्टेशनों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाने और घर में प्रवेश करने की क्षमता है। इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम है और इसमें विखंडन प्रकार का वारहेड है जिसे रडार लक्ष्यों के लिए अनुकूलित किया गया है।
• इसमें एक एंटी-रडार होमिंग सीकर ब्रॉडबैंड आरएफ एंटीना और रिसीवर, और एक सॉलिड स्टेट डिजिटल प्रोसेसर भी है। मिसाइल की मारक क्षमता 100 किमी से अधिक है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

सन्दर्भ

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के संविधान में संशोधनों के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

• यह यूपीयू संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करेगा जो सदस्य देशों द्वारा कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संविधान में संशोधनों के अनुसमर्थन के लिए यथाशीघ्र अनुसमर्थन प्रदान करता है। 27वीं यूपीयू कांग्रेस द्वारा अपनाए गए यूपीयू के संविधान में संशोधन संघ के अधिनियमों को और अधिक कानूनी स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं,

- शब्दावली में एकरूपता लाना,
- पाठ में कई लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को हल करना
- विएना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ़ ट्रीटीज़, 1969 के अनुरूप अधिनियमों की 'स्वीकृति या अनुमोदन' के प्रावधानों को समायोजित करना।

• अनुसमर्थन का साधन: यह एक दस्तावेज है, जिस पर संबंधित राष्ट्रीय सरकार के एक उपयुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसमें उस व्यक्ति का शीर्षक और उसकी तिथि और जारी करने का स्थान शामिल है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में

• यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जो सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है।
• यह टेलीमैटिक्स और एक्सप्रेस मेल सर्विस (ईएमएस) सहकारी समितियों की देखरेख करता है।
• यूपीयू का मुख्यालय बर्न, स्विटजरलैंड में स्थित है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com